31-10-19 वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली तनकी कायमी हेतु पेश हुई। तनकी कायमी के लिए पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहिर हुआ है कि वाद पत्र में जमाबंदी के अनुसार आराजी का विवरण एवं पक्षकारों का संयोजन सही रूप से नहीं किया गया है। अधिवक्तागण को सुना गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता संख्या 218 खसरा नं 373 के अनुसार सदा कंवर प्रतिवादिनी संख्या 1 का हिस्सा 4407/12575

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

है० 1.7628 दर्ज है। दावे की मद संख्या 2 के अनुसार वादिनी एवं प्रतिवादिनी सं० 1 द्वारा वादिनी तथा प्रतिवादी स 2 ता 7 के साथ दावे के दीगर पक्षकारों को भी आराजी के हस्तांतरण का विवरण अंकित है। वादी द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि किस पक्षकार का हिस्सा विभिन्न बेचानो से प्रभावशील होने के बाद कितना-कितना है एवं प्रत्येक पक्षकार का संभावित हिस्सा विवादित आराजी मे कितना है? अतएव स्पष्ट प्लीडिंग के अभाव मे पक्षकारो के स्वत्वो का निर्धारण समुचित रूप से नही किया जा सकता है।

वादिनी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादिनी स 1 द्वारा छोटू सिंह को बेची हुई आराजी ही क्रय की गई है। प्रतिवादिनी स० 1 द्वारा वादिनी तथा दीगर पक्षकारो को भी आराजी बेचान करना जाहिर हुआ है। इस प्रकार जाहिर होता है कि आराजी का विभिन्न पक्षकारो को बेचान हुआ है। एकमात्र खातेदार होने से क्रेतागण द्वारा क्रय की गई आराजी का एकमेव कब्जा प्राप्त कर लेने के कारण विवादित आराजी सहखातेदारी की आराजी किस प्रकार है। आराजी का निश्चित भू-भाग बेचान हुआ है न कि हिस्सा बेचान किया है जिसके विभाजन का वाद कारण पैदा होना साबित हो। आराजी के निश्चित भूखण्ड का कब्जा हस्तांतरण होने के कारण विभाजन की आवश्यकता का स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 15/6/2018 के अनुसार सदाकंवर प्रतिवादिनी स० 1 ने वादिनी को 2.10 हैक्टेयर मे से 0.1462 है० बेचान किया है जबकि जमाबंदी मे आराजी का क्षेत्रफल 1.7628 है०

Scanned by CamScanner

सदा कंवर के खाते मे दर्ज है। पत्रावली पर विभिन्न विक्रय पत्र प्रस्तुत हुए है जिससे प्लीडिंग से तारतम्य सम्यक विवरण के अभाव में नही हो रहा है।

अत: आदेश है कि दावा वादी स्पष्ट विवरण के अभाव में खारिज किया जाता है। बंटवारा के दावा में Cause of action निरन्तर जारी रहता है अतएव पक्षकार आराजी से संबंधित पक्षकारो के हिस्सो / क्षेत्रफल का पूर्ण विवरण स्पष्ट करते हुए आवश्यक समझा जाने पर नये सिरे से दावा पेश किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश खुले न्यायालय मे 31-10-2019 को सुनाया गया।

निधि सिंह